ए.

गौरव कुमार बंसल बनाम.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2022 का अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 40111) (निर्देशों के लिए आवेदन)

में।

(2021 का विविध आवेदन संख्या 1805)

2021 की लिखित याचिका (सी) संख्या 539 24 मार्च, 2022

[एम**.** आर**.** शाह और बी**.** वी**.** नागरत्ना**,** जेजे**]**

कोविड-19 महामारी-अनुग्रह राशि, कोविड रोगी की मृत्यु पर परिवार के सदस्यों को अनुदान-समय सीमा-झूठे दावे-भारत संघ द्वारा दावा किए गए दस्तावेजों के सत्यापन और ऐसे दावों के अनुदान के लिए समय सीमा की सीमा घोषित करने के लिए इस न्यायालय के दिनांक 30.06.2021 के आदेश में संशोधन की प्रार्थना करते हुए आवेदन-आयोजितःयदि कोई बाहरी समय सीमा निर्धारित नहीं है तो दावे प्राप्त करने की प्रक्रिया अंतहीन हो जाएगी और उस स्थिति में, झूठे दावे प्रस्तुत करने की पूरी संभावना है-इसलिए, कोविड-19 के कारण मृत्यु होने की स्थिति में मुआवजे के लिए दावे दायर करने के लिए साठ दिनों की बाहरी सीमा तय की गई है-साथ ही भविष्य में होने वाली मौतों के लिए, मुआवजे के लिए दावा दायर करने के लिए कोविड-19 के कारण मृत्यु की तारीख से नब्बे दिनों का समय दिया गया है-यदि कोई भी दावेदार अत्यधिक कठिनाई के मामले में निर्धारित समय के भीतर आवेदन नहीं कर सकता है, तो दावेदार के लिए शिकायत निवारण समिति से संपर्क करना खुला रहेगा-केंद्र और राज्यों को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इस आदेश का व्यापक प्रचार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं ताकि दावा किया जा सके।52 अधिनियम, 2005-किसी को भी झूठा दावा करके और/या झूठा प्रमाण पत्र जमा करके अनुग्रह राशि का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है-एन. डी. एम. ए./भारत संघ को 5 प्रतिशत ए की यादृच्छिक जांच करने की अनुमति दी गई है।

जी.

एच.

568

569

गौरव कुमार बंसल बनाम भारत और भारत का संघ।

आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र राज्य द्वारा पहली बार में किए गए दावे के आवेदनों में से-तदनुसार निपटाया गया आवेदन-आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005।

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः2021 की रिट याचिका (सी) संख्या 539 में 2021 की विविध आवेदन संख्या 1805 में 2022 का अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 40111।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत) प्रांजल किशोर, आदित्य जैन-1, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए।

तुषार मेहता, एस. जी., के. एम. नटराज, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., अनिल ग्रोवर, सौरभ मिश्रा, अर्धेन्दुमाउली कुमार प्रसाद, राहुल वर्मा, अमित आनंद तिवारी, श्रीमती प्राची मिश्रा, ए. ए. जी., विवेक कोहली, महाधिवक्ता, सुश्री मनीषा लवकुमार, आर. बसंत, डॉ. मनीष सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, रजत नायर, अमित शर्मा, सुघोश सुब्रमण्यम, सुश्री प्रीति रानी, मनीष, अरविंद कुमार। शर्मा, जी. एस. मक्कर, बी. वी. बलराम दास, सुश्री दीपानविता प्रियंका, महफूज अहसान नाजकी, पोलांकी गौतम, शेख मोहम्मद हनीफ, टी. विजय भास्कर रेड्डी, के. वी. गिरीश चौधरी, सुश्री राजेश्वरी मुखर्जी, सुश्री दीक्षा राय, अंकित अग्रवाल, सुश्री रागिनी पांडे, अरुण आर. पेडनेकर, आदित्य मनुबरवाला, सुश्री मुक्ति चौधरी, डॉ. मोनिका गुसैन, सुश्री नूपुर सिंघल, राहुल खुराना, संजय कुमार विसेन, सतीश कुमार, सुश्री बबीता मिश्रा, जी. एम. कावूसा, सुश्री तरुणा अर्धनंदम।

जी.

अनवर, अभिमन्यु तिवारी, सुश्री एलिजा बार, पुखरंबम रमेश कुमार, सुश्री अनुपमा नगंगोम, करुण शर्मा, वी. एन. रघुपति, मो. मेसर्स वी. एम. जेड. चैम्बर्स के लिए अपजल अंसारी, श्रीमती के. एनाटोली सेमा, अमित कुमार सिंह, सुश्री चुबलेमला चांग, महेश कुमार, निखिलेश कुमार, सुश्री देविका खन्ना, श्रीमती वी. डी. खन्ना, शुभदीप रॉय, कबीर शंकर बोस, ईशान बोरठाकुर, डी. के. देवेश, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. वर्तमान आवेदन को भारत संघ-गृह मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ प्राथमिकता दी जाती हैः-

“(क) किसी भी केंद्रीय एजेंसी को अनुग्रह राशि प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संसाधित किए गए दावा किए गए दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए नमूना जांच करने की अनुमति देने वाले मामले में इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित आदेश और अन्य बाद के आदेशों को संशोधित करें और उसके बाद कानून के अनुसार कदम उठाएं।

(ख) इस माननीय न्यायालय द्वारा तत्काल आवेदन में पारित आदेश की तारीख से चार सप्ताह की समय सीमा घोषित करने की सीमा तक शीर्षक मामले में इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश और अन्य बाद के आदेशों को संशोधित करें, मौजूदा योग्य दावेदारों के लिए इस माननीय न्यायालय के आदेशों के तहत अनुग्रह भुगतान की अनुदान की मांग के लिए अधिकारियों के साथ अपने दावे दर्ज करने की एक बाहरी सीमा के रूप में और दावेदारों के लिए चार सप्ताह का समय जो भविष्य में पात्र हो सकते हैं।

2. श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1 और अन्य बाद के आदेशों द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद, संबंधित राज्यों को अपने परिवार के सदस्यों की मृत्यु पर अनुग्रह राशि का दावा करने वाले लगभग 2 दावे

प्राप्त हुए हैं, जो इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1 और उसके बाद के आदेशों द्वारा पारित आदेश के अनुसार इसके हकदार हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि देश में कोविड-19 महामारी अब समय की अवधि के साथ कम हो गई है क्योंकि इस माननीय न्यायालय ने दिनांकित 30.06.2021 आदेश पारित किया है और बाद में दिनांकित 29.11.2021 आदेश पारित किया है, अब तक सभी वास्तविक दावेदारों ने अपने दावों को स्थापित करके अधिकारियों से संपर्क किया होगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए बिना किसी बाहरी समय सीमा के दावे प्रस्तुत करने/प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी रखना वांछनीय नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि समय की कोई बाहरी सीमा निर्धारित नहीं है, तो ए में

जी.

एच.

571

गौरव कुमार बंसल बनाम भारत और भारत का संघ। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

उस मामले में, झूठे दावे करने की सहमति की संभावना है।इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि वह समय सीमा निर्धारित की जाए जिससे पहले कोविड-19 के कारण मरने वाले व्यक्तियों के दावेदार अपने दावे करने के लिए प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।

विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री मेहता ने कोविड-19 के कारण मृत्यु के मामले में अधिकारियों से अनुग्रह राशि का दावा करने के लिए चार सप्ताह की समय सीमा तय करने का सुझाव दिया है।

2.1 श्री मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा है कि कुछ राज्यों में नकली दावे प्रस्तुत करने की वास्तविक आशंकाएं हैं।इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि संबंधित राज्यों में दायर किए गए दावा आवेदनों की लेखा परीक्षा और/या कम से कम यादृच्छिक जांच होनी चाहिए।विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री मेहता ने कहा है कि झूठा दावा करके या नकली/झूठा प्रमाण पत्र जमा करके अनुग्रह राशि प्राप्त करना एक बहुत ही गंभीर मामला है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 52 (इसके बाद "अधिनियम, 2005" के रूप में संदर्भित) के अनुसार भी, अधिनियम, 2005 के तहत कोई राहत प्राप्त करने के लिए झूठा दावा करना एक दंडनीय अपराध है।यह हमारे ध्यान में लाया जाता है कि अभी तक लगभग 7,38,610 दावे प्राप्त हुए हैं और इसलिए, प्रत्येक दावे को सत्यापित करना बहुत मुश्किल हो सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए एक यादृच्छिक नमूना जांच की जाए।

2.1.1 केरल और आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बसंत, महाराष्ट्र राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल चिटनिस ने भी विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता का समर्थन किया है और झूठे दावे करने वाले व्यक्तियों का पता लगाने के लिए नमूना जांच का स्वागत किया है।

3. श्री मेहता को सुनने के बाद, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने अनुरोध और आवेदन में की गई प्रार्थना पर और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पहले निर्णय और आदेश के बाद नौ महीने से अधिक समय बीत चुका है और उसके बाद इस न्यायालय द्वारा पारित किए गए बाद के निर्णय और आदेश के बाद चार महीने बीत चुके हैं और अब तक संबंधित राज्यों को लगभग 7,38,610 दावे प्राप्त हो चुके हैं, विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री मेहता यह प्रस्तुत करने में सही हैं कि अब तक सभी वास्तविक दावेदारों ने अपने दावों को स्थापित करके अधिकारियों से संपर्क किया होगा।उनकी यह आशंका भी सही है कि यदि कोई बाहरी समय सीमा निर्धारित नहीं है, तो दावे प्राप्त करने की प्रक्रिया अंतहीन हो जाएगी और उस स्थिति में, झूठे दावे प्रस्तुत करने की पूरी संभावना है।

हालाँकि, उसी समय, श्री मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा सुझाए गए चार सप्ताह का समय बहुत कम है।परिवार को मृत्यु और दुख से उबरने और दावा दायर करने के लिए कुछ उचित समय की आवश्यकता होगी।इसलिए, हम 20.03.2022 से पहले कोविड-19 के कारण मृत्यु होने की स्थिति में मुआवजे के लिए दावा दायर करने के लिए आज से साठ दिनों की बाहरी सीमा तय करना उचित समझते हैं।भविष्य में होने वाली मौतों के लिए, मुआवजे के लिए दावा दायर करने के लिए कोविड-19 के कारण मृत्यु की तारीख से नब्बे दिनों का समय दिया जाता है।दावों को संसाधित करने और दावे की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर मुआवजे का वास्तविक भुगतान करने के पहले के आदेश को जारी रखने का आदेश दिया गया है।4. हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि अत्यधिक कठिनाई की स्थिति में कोई भी दावेदार निर्धारित समय के भीतर आवेदन नहीं कर सका, दावेदार के लिए शिकायत निवारण समिति से संपर्क करना और शिकायत निवारण समिति के माध्यम से दावा करना

खुला होगा, जिस पर शिकायत निवारण समिति द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर विचार किया जाएगा और यदि शिकायत निवारण समिति द्वारा यह पाया जाता है कि कोई विशेष दावेदार निर्धारित समय के भीतर दावा नहीं कर सकता है जो उनके नियंत्रण से बाहर था, तो उसके मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है।5. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय-भारत सरकार और सभी संबंधित राज्यों को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वर्तमान आदेश का व्यापक प्रचार करें ताकि दावेदार इस न्यायालय द्वारा दावा करने के लिए निर्धारित समय सीमा को जान सकें।इस तरह का विज्ञापन आज से छह सप्ताह की अवधि के लिए पाक्षिक रूप से प्रकाशित किया जाएगा।

6. अब, जहाँ तक झूठे प्रमाण पत्र जमा करने पर नकली दावे जमा करने या झूठा दावा जमा करने पर मुआवजा प्राप्त करने के आरोप का संबंध है, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि झूठा दावा करना और उस आधार पर कोई राहत प्राप्त करना अधिनियम, 2005 की धारा 52 के तहत एक दंडनीय अपराध है, जो निम्नानुसार हैः-

“52. झूठे दावे के लिए सजा।— जो भी जानबूझकर करता है

केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण के किसी अधिकारी से आपदा के परिणामस्वरूप कोई राहत, सहायता, मरम्मत, पुनर्निर्माण या अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए झूठा होने का दावा करने पर उसे दो साल तक के कारावास और जुर्माने की दोषसिद्धि हो सकती है।”

जी.

एच.

573

गौरव कुमार बंसल बनाम भारत और भारत का संघ। [एम. आर. शाह, जे.]

ए.

6.1 किसी को भी झूठा दावा करके और/या झूठा प्रमाण पत्र जमा करके अनुग्रह राशि का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।एक दावेदार उन लोगों के रिश्तेदार/परिवार के सदस्य होने के नाते, जिनकी कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई, Rs.50,000/- की अनुग्रह राशि का हकदार है।इससे पहले, इस न्यायालय ने भारत संघ/एन. डी. एम. ए./संबंधित

राज्यों को मानवता को ध्यान में रखते हुए और कोविड-19 के कारण अपने परिवार के सदस्यों में से एक को खोने वाले परिवार के सदस्यों की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए अनुग्रह राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हुए आदेश पारित किया।इसलिए, किसी को भी इसका दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और यह नैतिकता के खिलाफ भी है और अनैतिक है, जिसे कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।इसलिए, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र राज्यों में दायर किए गए 5 प्रतिशत दावे आवेदनों की यादृच्छिक जांच के साथ शुरुआत की जाएगी।हम एन. डी. एम. ए./भारत संघ को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र राज्यों द्वारा दावा आवेदनों के 5 प्रतिशत की यादृच्छिक जांच करने की अनुमति देते हैं।संबंधित राज्यों को ऊपर दिए गए आदेश के अनुसार दावा आवेदनों की जांच करने में सहायता करने और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को संबंधित दावों के सभी आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, जो आज से तीन महीने की अवधि के भीतर जांच करेंगे और इस न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।यदि यह पाया जाता है कि किसी ने झूठा दावा किया है, तो उस पर अधिनियम, 2005 की धारा 52 के तहत विचार किया जाएगा और तदनुसार दंडित किया जाएगा।

वर्तमान आवेदन का उपरोक्त निर्देशों के अनुसार निपटान किया जाता है।

देविका गुजराल

आवेदन का निपटारा कर दिया गया।

जी.

एच.